



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60200

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8075 वर्ष 2026

अखिल पाल उर्फ अतुल

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: राम बाबू सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम बाबू सिंह और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री राधे श्याम की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उसे प्रकरण अपराध संख्या 797/2025 में, धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 352 बीएनएस और धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत, कन्नौज पुलिस स्टेशन, जिला कन्नौज में दर्ज मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने आगे निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने प्रथम सूचनादाता पर गोली चलाई थी, हालांकि, प्रत्याशित घटना में प्रथम सूचनादाता को किसी प्रकार की गोली लगने से कोई चोट नहीं आई है, लेकिन कहा जाता है कि उसे विस्फोटक पदार्थों के कारण जलने की चोटें आई हैं। आवेदक ने आगे निवेदन किया है कि उसने अपने पूरे आपराधिक इतिहास का विवरण आवेदन ज्ञापन और पहले से दायर पूरक शपथपत्र में दिया है। इसके अलावा निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 17.10.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।

5. आवेदक पर आग्नेयास्त्र से हमले का आरोप लगाया गया है, हालांकि, आरोपित घटना में घायल व्यक्ति को आग्नेयास्त्र से कोई चोट नहीं आई है। यह भी निवेदन है कि आवेदक ने अपने संपूर्ण

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आपराधिक इतिहास का विवरण आवेदन ज्ञापन और पहले से दायर पूरक हलफनामे में दिया है।
आवेदक 17.10.2025 से जेल में बंद है।

6. सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूं। अतः, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

7. उपर्युक्त मामले में आरोपी **अखिल पाल उर्फ अतुल** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाएगा:

(i) आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आरोपी मामले की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर ट्रायल न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह अवर न्यायालय में उपस्थित हों।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

24 मार्च, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”